बीईओ के निलंबन आदेश को हाई कोर्ट ने किया रद

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः बस्तर संभाग के जगदलपुर जिले में पदस्थ खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) मानसिंह भारद्वाज के निलंबन आदेश को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि कलेक्टर को बीईओ जैसे क्लास-2 अधिकारियों को निलंबित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह आदेश पारित किया, जो विधि विरुद्ध है। कोर्ट ने इस आदेश को शून्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता मानसिंह भारद्वाज जगदलपुर विकासखंड में बीईओ के पद पर पदस्थ हैं। उनके खिलाफ उच्च कार्यालय को युक्तियुक्तकरण के संबंध में गलत जानकारी भेजने का आरोप लगाते हुए प्रभारी कलेक्टर द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कलेक्टर न तो बीईओ के नियुक्ति प्राधिकारी हैं और न ही उन्हें निलंबन का अधिकार है। यह अधिकार केवल संभागीय आयुक्त अथवा स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के पास निहित है।

अधीनस्थ अधिकारी ने किए दस्तखत, नियमों का उल्लंघन

हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की, कि निलंबन आदेश पर कलेक्टर के हस्ताक्षर नहीं थे। उस समय कलेक्टर अवकाश पर थे और जिला पंचायत सीईओ प्रभारी कलेक्टर के रूप में कार्यरत थे। सीईओ ने ही हस्ताक्षर किए। कोर्ट ने इसे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना। निलंबन जैसी कठोर कार्रवाई में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्राधिकारी विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों का पालन करे, अन्यथा आदेश शून्य हो जाता है।